IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT GWALIOR

HON'BLE SHRI JUSTICE ANAND PATHAK

&

HON'BLE SHRI JUSTICE HIRDESH

ON THE 27th OF FEBRUARY, 2025

WRIT APPEAL NO. 2323 of 2024

STATE OF M.P. AND ORS.
Vs.
KAMLESH NARAIN SHARMA

APPEARANCE:

Shri A.K. Nirankari– learned Government Advocate for the appellants/State.

Shri Siddharth Sharma – learned counsel for the respondent.

Shri Anil Sharma and Shri Alok Sharma, learned Amicii Curiae.

ORDER

Per. Justice Anand Pathak

1. The present appeal under Section 2 (1) of the Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khand Nyaypeeth Ko Appeal) Adhiniyam, 2005 is preferred by the appellants/State (hereinafter referred as “appellant”) being crestfallen by the order dated 12.07.2023 passed by learned Single Judge in Writ Petition No.5271 of 2012, whereby the writ petition filed by the respondent/ Kamlesh Narain Sharma (petitioner therein) has been allowed.

2. Precisely stated facts of the case are that respondent (petitioner in the writ petition) was working as In-charge Chief Municipal Officer at Ganj Basoda, District Vidisha (M.P.) and was senior Revenue Inspector of **Grade “A” (Ka)**. For promotion of Chief Municipal Officer, **Grade "B",** the department prepared a Fit List on

the basis of gradation list showing position as on 01.04.2007 and name of respondent was placed at S.No.58 in the gradation list. The appellants/State fixed the date of DPC as 17.07.2009 and subsequently, the said date was extended and fixed as 09.11.2009, 16.12.2009 and thereafter, 08.03.2010. Lastly, the date was fixed for 29.03.2010. The requisite information of the employees, who are under the zone of consideration were placed before the DPC and in the said list, name of the respondent was placed at S.No.15. From perusal of the said list, it is reflected that three charge-sheets were issued against the respondent; one on 30.09.2010 and other two on 21.10.2009.

3. In the DPC held on 29.03.2010, the criteria for promotion was seniority-cum-merit and the ACRs for 05 years w.e.f. 2003-04 to 2007-08 were placed for consideration for promotion. After consideration of the case of respondent, the recommendations/comments of DPC were placed in a sealed envelope. The aforesaid action of the appellants/ State was in pursuance to Circular dated 11.09.2007. From the year 2003-04 to 2007-08, no departmental enquiry was pending or contemplated against the respondent except for one enquiry of Lokayukt Organization, which was registered in the year 1999 and the said enquiry was closed on 29.05.2009. On perusal of the list, it appears that all three charge-sheets have been issued against the respondent in the year 2009, and no charge-sheet has been issued against the respondent during the period which was under consideration for his promotion i.e. 2003-04 to 2007-08. However, the petitioner has not

been given promotion looking to the departmental enquiry pending against him.

4. Thereafter, petitioner approached this Court by way of filing W.P. No.5271/2012, which was allowed vide order dated 12.7.2023 with the following directions:

> *"**17.** Thus, this Court finds that the order impugned dated 10.5.2012 is per se illegal and accordingly, it is hereby set aside. The respondents are directed to open the sealed envelope of the recommendations/comments of the DPC held on 29.03.2010 forthwith.*
>
> ***18.** If the recommendations/comments of the DPC are in favour of the petitioner then consequential relief of notional promotion, re-fixation of pay/pension and other benefits be extended to the petitioner.*
>
> ***19.** With the aforesaid observation and direction, the present petition is allowed and disposed off."*

5. Being aggrieved by the order passed by learned writ Court, appellants/State filed the present writ appeal before this Court.

6. Learned counsel for the appellants/State submits that the order passed by learned Writ Court is contrary to the law and the Writ Court has not taken into consideration the Circular issued by the State Government from time to time with regard to process of sealed cover while considering the case of an employee in DPC. It is an admitted fact that DPC was conducted on 29.03.2010, in which the case of respondent was duly considered and because of three departmental enquiries pending against him, sealed cover proceeding was rightly been adopted in pursuance to the Circular dated 30.06.1994 (Annexure AW-3). All three charge-sheets were ultimately culminated and concluded as punishment to the respondent. In the DPC conducted, it was held that

out of three charge-sheet, in pursuance of the first charge-sheet which was issued in the year 2011, two increments with non-cumulative effect have been stopped and thereafter, since loss caused to the public exchequer was to the tune of Rs.2,67,531/- therefore, 50% of the said loss was directed to be recovered from the respondent.

7. Similarly, in pursuance to second charge-sheet in relation to case No.269/2009, in which it was found that loss caused to the public exchequer was to the tune of Rs.13,56,340/- and therefore, 50% of the said loss was directed to be recovered from the respondent.

8. Another case, which was registered by the Lokayukt under Section 420 and 120-B of IPC r/w Section 13(1), 201 and 13(2) and 13(c) of Prevention of Corruption Act, in which permission was sought for prosecuting the respondent, that permission was also granted by Nagar Palika Parishad, Bhind, therefore, in such circumstances, respondent was not found fit and entitled for giving promotion.

9. Learned counsel for respondent vehemently opposed the submission of learned counsel for the appellants/State by supporting the impugned order passed by learned Writ Court.

10. Heard the counsel for the parties and perused the documents appended thereto.

11. In the present case, as per discussion as surfaced, it appears that once an employee is facing departmental inquiry and during the pendency of departmental inquiry, any DPC is convened for his promotion, then his recommendation would be kept in a sealed cover and promotion order would not be passed till he is exonerated from the charges. If he is not exonerated from the charges, then the recommendation of DPC would not be implemented. In sub-clause (7)

of Clause 5 of the Circular dated 30.06.1994 (Annexure/AW-3) issued by the General Administration Department Government of M.P., this position has been clarified, Circular is reproduced for ready reference:-

54

मध्यप्रदेश शासन Annexure – AW/3
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ/सी-6-2/94/3/एक

भोपाल, दिनांक 30 जून 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय :—शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति/स्थाईकरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत।

(1) 209/2449/1/3/63, दिनांक 31-1-64.
(2) 3-29/73/3-एक, दिनांक 20-3-74.
(3) 3-17-79/3/एक, दिनांक 11-1-80.
(4) 6-1/80/1/3, दिनांक 12-7-80
(5) 620-1213-1-3-82, दिनांक 23-9-82

उपरोक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित मार्जिन में अंकित निर्देशों तथा इस संबंध के समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए एवं उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय दिनांक 27-8-91 (भारत संघ बनाम जानकीरमण इत्यादि ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 2010) तथा भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 22011/4/91-स्था(क), दिनांक 14-9-92 के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे शासकीय सेवकों के पदोन्नति के मामलों में जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाही लंबित हो अथवा जिसके आचरण की जांच की जा रही हो, के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :—

उन शासकीय सेवकों के मामले, जिन पर मुहर बंद लिफाफे की क्रियाविधि लागू होती है।

2. (1) शासकीय सेवकों के पदोन्नति संबंधी मामलों पर विचार करते समय पदोन्नति की विचारण परिधि में आने वाले ऐसे शासकीय सेवकों के ब्यौरे, जो निम्न वर्गों के अन्तर्गत आते हों, विशेष तौर पर विभागीय पदोन्नति समिति के ध्यान में लाये जाने चाहिए :—

(i) निलंबित शासकीय सेवक,

(ii) शासकीय सेवक, जिन्हें आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है और जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, और

(iii) शासकीय सेवक, जिन पर, किसी आपराधिक आरोप के आधार पर, अभियोजन के प्रकरणों में, जिनमें चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई हो तथा कार्यवाही लंबित है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नीचे उल्लेखित बंद लिफाफे की प्रक्रिया केवल ऐसे शासकीय सेवकों के लिए अपनाई जायेगी, जिनके विरुद्ध या तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत आरोप-पत्र वास्तविक रूप से जारी कर दिया गया हो और या जिनके विरुद्ध अभियोजन पत्र वास्तव में अदालत में पेश हो गया हो।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा, पैरा 2(1) में वर्णित प्रवर्गों के संबंध में अपनाई जाने वाली क्रिया विधि।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति, उन शासकीय सेवकों के, जो कि ऊपर वर्णित वर्गों के अंतर्गत आते हैं, उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन पर विचार न करते हुए, अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी। विभागीय पदोन्नति समिति के उपयुक्तता संबंधी मूल्यांकन, जिसमें पदोन्नति के लिए अयोग्य भी शामिल हो सकता है, इसके द्वारा दिए गए ग्रेड को, मुहरबंद लिफाफे में रखा

संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
ग्वालियर एवं चंबल-संभाग, ग्वालियर

जायेगा। इस लिफाफे पर "श्री .... संबंध में :.. (शासकीय सेवक का नाम) के निष्कर्ष। इसे श्री .... ग्रेड में/पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्तता संबंधी .... (शासकीय सेवक का नाम) के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन की सम्पूर्ति पर ही खोला जायेगा" अंकित किया जाएगा। विभागीय पदोन्नति के कार्यवृत्त में केवल इस आशय के नोट की ही आवश्यकता है कि "निष्कर्ष संलग्न सीलबंद लिफाफे में दिए गए हैं"। जब किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष किसी मुहरबंद लिफाफे में रखे गए हो तो रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अलग से <u>यह सलाह दी जानी चाहिये कि उच्च ग्रेड में इस रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर ही भरा जाए</u>।

(3) उपरोक्त पैरा 2 (2) में उल्लिखित वही क्रियाविधि आयोजित की जाने वाली अनुवर्ती विभागीय समितियों द्वारा तब तक अपनाई जायेगी जब तक कि संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामला/आपराधिक अभियोजन का मामला समाप्त नही हो जाता।

अनुवर्ती विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि।

3. (1) ऐसे किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन के मामले में, जिसमें शासकीय सेवक के विरुद्ध आरोपो को वापस ले लिया जाता है, की सम्पूर्ति कर मुहरबंद लिफाफे/लिफाफों को खोला जायेगा। ऐसे मामले में जब किसी शासकीय सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में उसकी पदोन्नति की तारीख, मुहरबंद लिफाफों में रखे गए निष्कर्षों में, उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा इस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जायेगी। ऐसे शासकीय सेवक को, यदि जरूरी हो तो स्थानापन्न आधार पर कार्य करने वाले सब से बाद में पदोन्नत किए गए व्यक्ति को पदावनत कर, पदोन्नत किया जा सकता है। उसे, उसके कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में कल्पित रूप में (नोशनल) पदोन्नत किया जा सकता है। तथापि इस प्रश्न का, कि क्या संबंधित शासकीय सेवक वास्तविक पदोन्नति की तारीख से पहले की कल्पित (नोशनल) पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के किन्हीं बकायों का पात्र होगा और यदि हां तो किस सीमा तक, इस मामले मे निर्णय नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक क्रियाविधि/आपराधिक अभियोजन के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियो पर विचार करते हुए लिया जायेगा। जहां-कहीं भी प्राधिकारी द्वारा वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों से इंकार किया जाता है तो ऐसे निर्णय के कारणों को रिकार्ड किया जायेगा. ऐसे सभी हालातों का पूर्वानुमान लगाया जाना तथा विस्तृत रूप में निरूपित करना संभव नहीं है, जिनके अंतर्गत वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायो से इंकार किया जाना जरूरी हो। ऐसे भी मामले हो सकते है जहां कार्यवाही में, चाहे यह कार्यवाही अनुशासनिक अथवा आपराधिक स्वरूप की ही हो, शासकीय सेवक की वजह से देरी हुई हो अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति संदेह के लाभ के कारण अथवा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो और जिसके लिए शासकीय सेवक के कृत्य के कारण साक्ष्य अनुपलब्ध हो गई हो. यह कुछ ऐसी परिस्थितियां है जिनके कारण ऐसी अस्वीकृति को न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले की सम्पूर्ति उपरान्त कार्यवाही।

(2) यदि अनुशासनिक कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप शासकीय सेवक पर कोई शास्ति लगाई जाती है अथवा उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन में उसे दोषी पाया जाता है तो उस स्थिति मे मुहरबंद लिफाफा खोलने की अवश्यकता नहीं है, अर्थात् लिफाफे लिफाफो में रखे निष्कर्षों पर कार्यवाही नही की जायेगी। अतः ऐसी स्थिति में उसकी पदोन्नति के मामले पर, सामान्यतः इस पर अरोपित शास्ति को ध्यान मे रखते हुए, अगली विभागीय पदोन्नति समिति में विचार किया जायेगा।

(3) सामान्यतः किसी शासकीय सेवक को अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप दण्डित तब ही करना चाहिए जब ऐसा करने के लिए जांच के निष्कर्षों मे उपयुक्त/अच्छे एवं पर्याप्त (Good & Sufficient) आधार हों। जांच के फलस्वरूप ऐसे उपयुक्त/अच्छे एवं पर्याप्त आधार न हो तो शासकीय सेवक को दोषमुक्त करना चाहिए। शासन के ध्यान में यह बात आई है कि कई प्रकरणो को, जिनमें अपचारी अधिकारी के विरुद्ध की गई जांच में उसको दण्डित करने के उपयुक्त/अच्छे एवं पर्याप्त आधार थे, केवल चेतावनी देकर समाप्त कर दिया गया और इस आधार पर अपचारी अधिकारी को पदोन्नत भी कर दिया गया। इस प्रकार की कार्यवाही

संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
ग्वालियर एवं चंबल–संभाग, ग्वालियर

करना अनुचित है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत चेतावनी दण्ड की परिभाषा में नहीं आती। अर्थात् इन नियमों के अंतर्गत जो दण्ड परिभाषित है, उनमें चेतावनी सम्मिलित नहीं है. नियमों के अंतर्गत की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच के परिणामस्वरूप यदि यह पाया जाता है कि अपचारी शासकीय सेवक पर कुछ दोष आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस पर कम से कम परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करना आवश्यक है और ऐसे प्रकरणों को केवल चेतावनी देकर समाप्त नहीं करना चाहिए।

"मुहरबंद लिफाफों" के मामलों की छः माही समीक्षा।

4. यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि शासकीय सेवक के विरुद्ध लगाए गए किसी अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले में अनुचित रूप से विलम्ब न किया जाए और इस संबंध में कार्यवाही को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि शासकीय सेवक के मामले को मुहरबंद लिफाफे मे कम से कम अवधि तक ही रखा जाए. अतः संबंधित नियोक्ता प्राधिकारियों को चाहिए कि उनके द्वारा ऐसे शासकीय सेवकों के प्रकरणों की, जिनके उपयुक्तता संबंधी मामले को अगले ग्रेड पर पदोन्नति करने के लिए पहली विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने उस शासकीय सेवक की उपयुक्तता पर निर्णय लिया था और साथ ही अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, के आयोजन की तारीख से छः माह की अवधि समाप्त होने पर विस्तृत रूप से समीक्षा की जाए. ऐसी समीक्षा बाद में भी हर 6 महीने के अंतर पर की जानी चाहिए.। इस समीक्षा मे अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक अभियोजन में हुई प्रगति का जायजा लिया जाना चाहिए तथा इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आगामी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

तदर्थ पदोन्नति के लिए क्रियाविधि।

5. (1) उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित छःमाही समीक्षा किए जाने के बावजूद कुछ ऐसे मामले भी हो सकते है, जिनमें पहली विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने शासकीय सेवक के संबंध में अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, की बैठक की तारीख से दो साल बाद भी शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों को अन्तिम रूप नही दिया गया हो। ऐसी स्थिति में नियोक्ता अधिकारी ऐसे शासकीय सेवक के मामले की समीक्षा करे, बशर्ते कि वह शासकीय सेवक निलम्बनाधीन न हो तथा निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान मे रखते हुए उसे तदर्थ पदोन्नति दिये जाने की संभावना पर विचार किया जाए कि,–

(क) क्या शासकीय सेवक की पदोन्नति लोकहित के विरुद्ध होगी?

(ख) क्या आरोप इतने गंभीर है कि उसे पदोन्नति से वंचित रखे रहना जरूरी है?

(ग) क्या निकट भविष्य मे प्रकरण के पूरा होने की संभावना है?

(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी न्यायालयीन कार्यवाही को अन्तिम रूप दिये जाने में होने वाले विलम्ब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में संबंधित शासकीय सेवक का कोई योगदान है?

(ङ) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित शासकीय सेवक तदर्थ पदोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरूपयोग कर सकता है और जिसके परिणामस्वरूप विभागीय/आपराधिक अभियोजन के मामलों से संबंधित कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है?

लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/किन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक अभियोजन के मामलों में नियोक्ता प्राधिकारी को उक्त संस्थाओं से भी परामर्श करना चाहिए और उनके विचारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सेवा के समग्र रिकार्ड के आधार पर तदर्थ पदोन्नति हेतु मूल्यांकन।

(2) यदि नियोक्ता प्राधिकारी इस आशय के किसी निष्कर्ष पर पहुंचते है कि शासकीय सेवक को तदर्थ पदोन्नति दिया जाना लोकहित के विरुद्ध नहीं होगा तो उस स्थिति मे इस संबंध मे इस आशय का कोई निर्णय लिए जाने के लिए कि क्या संबंधित शासकीय सेवक तदर्थ आधार पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त है या नहीं, उसके मामले को, दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, सामान्य रूप से आयोजित की जाने वाली

संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
ग्वालियर एवं चंबल–संभाग, ग्वालियर

अगली विभागीय पदोन्नति समिति के सम्मुख रखा जाना चाहिए। जहां शासकीय सेवक के नाम पर तदर्थ पदोन्नति के लिये विचार किया जाता है, तो उस स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति को चाहिये कि वह उस शासकीय सेवक के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले पर ध्यान न देते हुए, उस व्यक्ति के सेवा के समग्र रिकार्ड के आधार पर उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करें।

(3) किसी शासकीय सेवक को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किये जाने के संबंध में कोई निर्णय लिये जाने के बाद उसकी पदोन्नति का आदेश जारी किया जाए और जारी आदेश में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाए कि :— *(तदर्थ पदोन्नति का आदेश जारी किया जाना।)*

(i) पदोन्नति विशुद्ध रूप मे तदर्थ आधार पर की जा रही है और इस तदर्थ पदोन्नति से शासकीय सेवक को नियमित पदोन्नति का कोई हक हासिल नहीं होगा;

(ii) की जा रही पदोन्नति का विभागीय जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; तथा

(iii) पदोन्नति "आगामी आदेशों तक" ही होगी। आदेशों में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि शासन/सक्षम प्राधिकारी उक्त तदर्थ पदोन्नति को रद् करने तथा उसे वापस उसी पद पर भेजने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस पद से उसे पदोन्नत किया गया था।

(4) यदि संबंधित शासकीय सेवक को मामले के गुण-दोष के आधार पर आपराधिक अभियोजन से दोषमुक्त कर दिया जाता है अथवा विभागीय कार्यवाही में पूरी तरह दोष रहित करार दिया जाता है तो तदर्थ पदोन्नति को नियमित पदोन्नति मे परिवर्तित कर दिया जाए और इस पदोन्नति को तदर्थ पदोन्नति होने की तारीख से ही सभी संबंधित प्रसुविधाओं सहित नियमित पदोन्नति के रूप में माना जाए. यदि ऐसे शासकीय सेवक को, मुहरबंद लिफाफे में रखी गई विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही में निश्चित किए गए उसके स्थानक्रम को देखते हुए तदर्थ पदोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से और उसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति की वास्तविक तारीख से, जिसे उक्त शासकीय सेवक के तत्काल बाद कनिष्ठ स्थान दिया गया है, सामात्यतः नियमित पदोन्नति मिल गई हो, तो उस स्थिति में उसे उपरोक्त पैरा 3(1) में निरूपित विधिवत वरिष्ठता तथा कल्पित (नोशनल) पदोन्नति की सुविधाएं दे दी जायेंगी। *(तदर्थ पदोन्नति का नियमित किया जाना तथा पैरा 3(1) की सुविधाएं दी जाना।)*

(5) यदि शासकीय सेवक को आपराधिक अभियोजन से गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि तकनीकी आधार पर ऐसा किया जाता है और साथ ही शासन या तो इस मामले को किसी उच्च न्यायालय में ले जाना चाहता है अथवा विभागीय तौर पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है अथवा ऐसे शासकीय सेवक को यदि विभागीय कार्यवाही में दोष रहित करार नही दिया जाता तो उसे दी गई तदर्थ पदोन्नति को रद् कर दिया जाना चाहिए। *(तदर्थ पदोन्नति निरस्त किया जाना।)*

(6) किसी निलम्बनाधीन शासकीय सेवक अथवा जिसके विरुद्ध अभियोजन में विभागीय जांच चल रही हो, के स्थायीकरण के दावे पर विचार करते समय भी पिछली कंडिकाओं में उल्लिखित क्रियाविधि का ही अनुसरण किया जाना चाहिए। जब ऐसे किसी शासकीय सेवक के मामले को विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा मुहरबंद लिफाफे में रखा जाता है तो उसके लिये एक स्थायी रिक्ति भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए। *(स्थायीकरण के लिए "मुहरबंद लिफाफे" की क्रियाविधि।)*

(7) कोई शासकीय सेवक, जिसकी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परन्तु जिसके मामलें में पैरा 2(1) में उल्लेखित कोई हालात विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, परन्तु वास्तविक रूप में उसकी पदोन्नति होने से पहले सामने आते है तो उसके मामले में यह मानकर कार्यवाही की जावेगी कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उससे संबंधित अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गई है, अर्थात् ऐसे प्रकरण में पदोन्नति नहीं की जाएगी और मुहरबंद लिफाफे की प्रक्रिया उसमें लागू हो गई मानी जायेगी। ऐसे शासकीय सेवक को तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न कर दिया जाए। यदि अपचारी अधिकारी दोषमुक्त नही होता है तो विभागीय पदोन्नति की सिफारिश पर अमल नही किया जायेगा। *(ऐसे शासकीय सेवक के प्रकरण में मुहरबंद लिफाफे की क्रियाविधि, जिसके विरुद्ध कोई मामला विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद परन्तु वास्तविक रूप में उनकी पदोन्नति होने से पहले, सामने आता है।)*

संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
ग्वालियर एवं चंबल–संभाग, ग्वालियर

(8) उपरोक्त विषय से संबंधित अनुशासनिक/न्यायालयीन मामले में अथवा अन्य किन्हीं शासकीय निर्देशों में जहां कहीं पैरा-ए के मार्जिन में अंकित निर्देशो का उल्लेख हुआ हो तो उन्हें एतद्द्वारा निरस्त माना जाकर, उनके स्थान पर इन निर्देशों को पढ़ा जाए और इस ज्ञापन द्वारा जारी निर्देशों को सावधानीपूर्वक दृढ़ता से पालन कराया जाए।

हस्ता./-
(पी. के. मेहरोत्रा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ/सी-6-2/94/3/एक

भोपाल, दिनाक 30 जून 1994

प्रतिलिपिः—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर,
सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,,
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र. भोपाल।

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र., राजभवन, भोपाल,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल।

3. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक।

4. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल।

5. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर।

6. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।

7. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।

8. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य, लेखाधिकारी, राज्य मंत्रालय, भोपाल।

9. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
ग्वालियर एवं चंबल-संभाग, ग्वालियर

12. Thereafter, vide Circular dated 11.09.2007 (Annexure/AW-4), reiteration of this spirit has been made. The said circular is reproduced as under:-

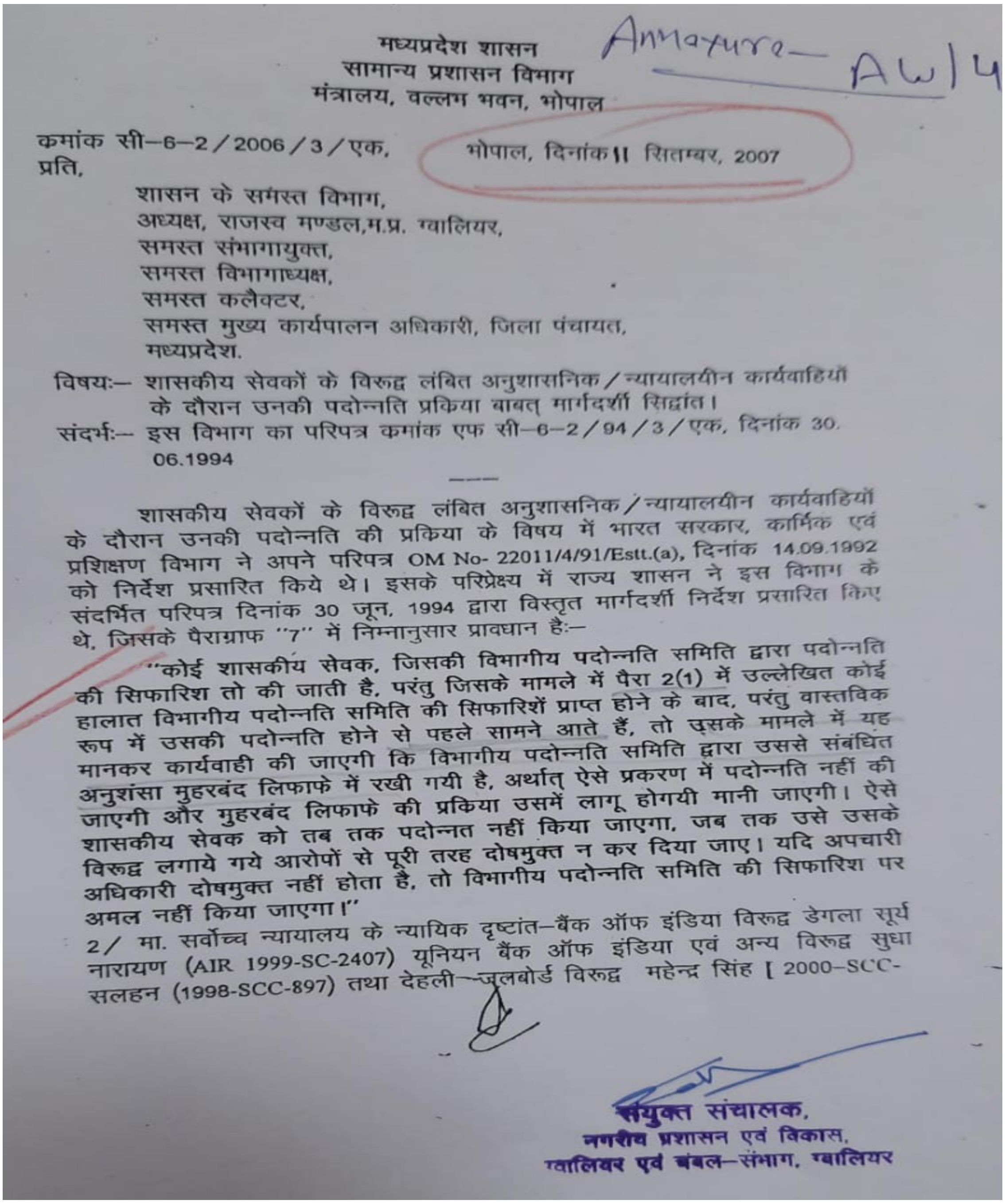

Annexure—AW/4

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक सी–6–2/2006/3/एक, भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 2007
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलैक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः– शासकीय सेवकों के विरूद्व लंबित अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति प्रकिया बाबत् मार्गदर्शी सिद्वांत।

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र कमांक एफ सी–6–2/94/3/एक, दिनांक 30.06.1994

शासकीय सेवकों के विरूद्व लंबित अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति की प्रकिया के विषय में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने परिपत्र OM No- 22011/4/91/Estt.(a), दिनांक 14.09.1992 को निर्देश प्रसारित किये थे। इसके परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30 जून, 1994 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किए थे, जिसके पैराग्राफ "7" में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

"कोई शासकीय सेवक, जिसकी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परंतु जिसके मामले में पैरा 2(1) में उल्लेखित कोई हालात विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, परंतु वास्तविक रूप में उसकी पदोन्नति होने से पहले सामने आते हैं, तो उसके मामले में यह मानकर कार्यवाही की जाएगी कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उससे संबंधित अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गयी है, अर्थात् ऐसे प्रकरण में पदोन्नति नहीं की जाएगी और मुहरबंद लिफाफे की प्रकिया उसमें लागू होगयी मानी जाएगी। ऐसे शासकीय सेवक को तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा, जब तक उसे उसके विरूद्व लगाये गये आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न कर दिया जाए। यदि अपचारी अधिकारी दोषमुक्त नहीं होता है, तो विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अमल नहीं किया जाएगा।"

2/ मा. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत–बैंक ऑफ इंडिया विरूद्व डेगला सूर्य नारायण (AIR 1999-SC-2407) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य विरूद्व सुधा सलहन (1998-SCC-897) तथा देहली–जलबोर्ड विरूद्व महेन्द्र सिंह [2000–SCC-

संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
ग्वालियर एवं चंबल–संभाग, ग्वालियर

(2)

897] में पारित आदेश तथा इस विषय में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र OM No. 22011/2/2002/Estt- (a) दिनांक 24.02.2003 के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन, इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30.06.1994 के कम में निम्नानुसार पूरक निर्देश जारी करता है:—

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30.06.1994 की कण्डिका–7 ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी, जिसमें प्रथम जांच में दोषमुक्त पाये जाने के कारण संवंधित शासकीय सेवक के विषय में विभागीयपदोन्नति समिति का बन्द लिफाफा खोलते समय विभाग द्वारा कोई अन्य विभागीय जांच संस्थित कर दी गयीथी। अर्थात् जहां उस विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें संबंधित शासकीय सेवक के सम्बंन्ध में अनुशंसा बन्द लिफाफे में रखी गयी थी, की अनुशंसा के आधार पर उससे कनिष्ठ की पदोन्नति हो जाने के बाद संवंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध दूसरी अर्थात् पश्चात्वर्ती विभागीय कार्यवाहीयां संस्थित की गयी थीं, तो ऐसे मामलों में संबंधित शासकीय सेवक को प्रथम जांच में दोषमुक्त पाये जाने पर प्रथम विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा की स्थिति में कनिष्ठ की पदोन्नति के दिनांक से पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पश्चातवर्ती कार्यवाहियों (जो संबंधित शासकीय सेवक के कनिष्ठ की पदोन्नति के बाद संस्थित हुई) में यदि संबंधित शासकीय सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित कर दी गयी हो, तो ऐसे मामलों में शासकीय सेवक पर अधिरोपित शास्ति को पदोन्नत पद के संदर्भ में संशोधित (modified) किया जा सकेगा एवं इसका उल्लेख संबंधित शासकीय सेवक के पदोन्नति आदेश में भी किया जाएगा ताकि मामले में कोई अस्पष्टता नहीं रहे।

10/9/2007
(डी.एस. राय)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
ग्वालियर एवं चंबल–संभाग, ग्वालियर

13. Learned counsel for the *Amicii Curie* placed one order dated 20.07.2018 passed in **W.A.No.736/2018 (State of M.P. And Ors. Vs. Shyam Singh Tomar).** Relevant discussion whereof reads as under:-

> *"As the empanelment for promotion does not create a vested right of promotion, the principle of law laid down in K.V. Jankiraman (supra) and Anil Kumar Sarkar (supra) are of no assistance. Whereas in the*

former case the principle laid down was that in case of the initiation of disciplinary proceedings on a criminal proceedings, the recommendation for promotion to be kept in sealed cover. Whereas in the latter case, the charge sheet was issued four months (i.e. on 13/08/2003) after the promotion (i.e. on 21/04/2003). In the case at hand, when the charge sheet was issued on 25/08/2015 there was only the recommendation. The promotion order which was issued on 01/10/2015 as would create any right in the respondent for promotion."

14. In the present case, DPC was held on 29.03.2010 whereas three charge-sheets were issued to respondent; one on 30.09.2009 and other two on 21.04.2009. Besides that, one matter was registered by the Lokayukta also in the year 1999. Therefore, at the time of DPC, respondent was facing departmental inquiry and therefore, contention of respondent that ACRs were to be considered for the period 2003-04 to 2007-08 only and not for the period 2008-09 when he was subjected to departmental inquiry, does not hold ground because of the language of Circular dated 30.06.1994 (Annexure AW-3) and 11.09.2007 (Annexure AW-4) as well as order dated 20.07.2018 passed in W.A.No.736/2018 (supra). At the time of DPC, it is to be seen whether any the departmental inquiry is pending against the employee or not.

15. Although, circular dated 30.06.1994 also contemplates certain those exigencies when any disciplinary proceeding/criminal case is pending against an employee and delay in those proceedings have been caused, in that condition, sealed cover procedure can be reviewed every six months so that progress of disciplinary proceeding/criminal case can be taken into account and ways and means be adopted for early completion of those proceedings. Para-4 of the circular dated 30.06.1994 is reproduced as under:-

"मुहरबंद लिफाफों" के मामलों की छः माही समीक्षा।

4. यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि शासकीय सेवक के विरुद्ध लगाए गए किसी अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले में अनुचित रूप से विलम्ब न किया जाए और इस संबंध में कार्यवाही को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि शासकीय सेवक के मामले को मुहरबंद लिफाफे मे कम से कम अवधि तक ही रखा जाए. अतः संबंधित नियोक्ता प्राधिकारियों को चाहिए कि उनके द्वारा ऐसे शासकीय सेवकों के प्रकरणों की, जिनके उपयुक्तता संबंधी मामले को अगले ग्रेड पर पदोन्नति करने के लिए पहली विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने उस शासकीय सेवक की उपयुक्तता पर निर्णय लिया था और साथ ही अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, के आयोजन की तारीख से छः माह की अवधि समाप्त होने पर विस्तृत रूप से समीक्षा की जाए. ऐसी समीक्षा बाद में भी हर 6 महीने के अंतर पर की जानी चाहिए.। इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक अभियोजन में हुई प्रगति का जायजा लिया जाना चाहिए तथा इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आगामी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

16. In fact in sub-clause (1) of Clause 5 of the said circular, a very wider and all encompassing view has been taken by the General Administration Department which reads as under:-

तदर्थ पदोन्नति के लिए क्रियाविधि।

5. (1) उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित छःमाही समीक्षा किए जाने के बावजूद कुछ ऐसे मामले भी हो सकते है, जिनमें पहली विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने शासकीय सेवक के संबंध में अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, की बैठक की तारीख से दो साल बाद भी शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों को अन्तिम रूप नही दिया गया हो। ऐसी स्थिति में नियोक्ता अधिकारी ऐसे शासकीय सेवक के मामले की समीक्षा करें, बशर्ते कि वह शासकीय सेवक निलम्बनाधीन न हो तथा निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे तदर्थ पदोन्नति दिये जाने की संभावना पर विचार किया जाए कि,–

(क) क्या शासकीय सेवक की पदोन्नति लोकहित के विरुद्ध होगी?

(ख) क्या आरोप इतने गंभीर है कि उसे पदोन्नति से वंचित रखे रहना जरूरी है?

(ग) क्या निकट भविष्य मे प्रकरण के पूरा होने की संभावना है?

(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी न्यायालयीन कार्यवाही को अन्तिम रूप दिये जाने में होने वाले विलम्ब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में संबंधित शासकीय सेवक का कोई योगदान है?

(ङ) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित शासकीय सेवक तदर्थ पदोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरूपयोग कर सकता है और जिसके परिणामस्वरूप विभागीय/आपराधिक अभियोजन के मामलों से संबंधित कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है?

लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक अभियोजन के मामलों में नियोक्ता प्राधिकारी को उक्त संस्थाओं से भी परामर्श करना चाहिए और उनके विचारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

17. It even contemplates that in certain exigencies, employee can be considered for promotion if he fulfills certain conditions as prescribed in the circular. Although, in the considered opinion of this Court, this discretion can be enforced only in exceptional circumstances because Sub-Clause-7 of Clause-5 of said circular in fact waters down the spirit of

the very circular. Beside that subsequent circular dated 11.09.2007 issues supplementary directions. Said circular dated 11.09.2007 was passed after the judgments of Apex Court in the case of **Delhi Development Authority Vs. H.C.Khurana, AIR 1993 SC 1488, Union of India and Ors. Vs. Dr. Sudha Salhan (Smt.), (1998) 3 SCC 394 Bank of India and Anr. Vs. Degala Suryanarayana (1999) 5 SCC 762.** Therefore, it virtually dilutes the earlier Sub-Clause 4 and Clause-5 of said of the circular dated 30th June, 1994.

18. Therefore, in the considered opinion of this Court, learned Writ Court glossed over the fact situation and legal position, thus, caused illegality in passing the impugned order allowing petition filed by the respondent as petitioner.

19. In view of the above, the writ appeal preferred by the appellants/State is allowed. The order passed by learned Writ Court dated 12.07.2023 in Writ Petition No.5271/2012 is hereby set-aside and the order dated 10.05.2012 (Annexure P-1 annexed in the Writ Petition) stands revived.

20. Before parting, this Court extends appreciation for the valuable assistance given by learned Amicii Curiae -Shri Anil Sharma and Shri Alok Sharma, Advocates.

21. In view of the above, the Writ Appeal stands allowed and ***disposed of.***

(ANAND PATHAK)
JUDGE

(HIRDESH)
JUDGE

Ashish*

ASHISH CHAURASIA
Digitally signed by ASHISH CHAURASIA
DN: c=IN, o=HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH GWALIOR, ou=HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH GWALIOR, 2.5.4.20=bf81a9adb1da24e4bc7b5195154c3d4de08c6bb9303e52e2e7e72d9bac85bd3, postalCode=474001, st=Madhya Pradesh, serialNumber=A926F3CBF979ECA6A4C47757EEDBA3AB4F94593A930898DAE1B0AD16F90B5FD, cn=ASHISH CHAURASIA
Date: 2025.03.19 06:45:33 -07'00'